

Kind Attn - Sh. G. S. Pandey - C.A.O.
From - V. SAKSENA, NEW DELHI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

URGENT

भारत का राजपत्र The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929

No. 657]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

New Delhi, the 1st June, 2007

का.आ. 860(अ).—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 5ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस मत के होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 5क के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से इस अधिनियम के प्रयोजन से भारत में विनिर्मित सभी वस्त्रों एवं सभी मशीनरी को पूर्ण उपकर लगाए जाने से एतद्वारा छूट प्रदान करती है।

[सं. 12020/2/2002-ए एंड एमएमटी]

जैमिनी कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

S.O. 860(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5E of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government, being of the opinion that in the public interest it is necessary so to do, hereby exempts all textiles and all textile machinery manufactured in India from the levy of whole of the cess, for the purposes of the above-mentioned Act, as a duty of exercise leviable under Section 5A of the said Act, with effect from the date of publication of this notification.

[No. 12020/2/2002-A & MMT]

J. K. SHARMA, Jr. Secy.